

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797] No. 7971

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 2010/वैशाख 6, 1932

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 2010/VAISAKHA 6, 1932

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2010

का.आ. 957(अ).—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 7छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि भारत की जनगणना 2011 से संबंधित सभी कार्यकलापों के संचालन के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में निदेशक, जनगणना कार्य और जिले में जिला मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा ७क से ७च के संबंध में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों का अनुप्रयोग और निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. 9/7/2009 सीडी (सेन) |

च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2010

S.O. 957(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7G of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Cental Government hereby directs that the Director of Census Operations for each State and Union Territory and the District Magistrates for the Districts falling under their jurisdiction shall exercise and discharge the powers of the Central Government with regard to Sections 7A to 7F of the Census Act, 1948 in connection with the conduct of all activities of Census of India, 2011.

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

C. CHANDRAMOULI, Registrar General and Census Commissioner, India

अधिसचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2010

का.आ. 958(अ).—केन्द्रीय सरकार एतदुद्वारा जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 6क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रकाशित दिनांक 20 फरवरी, 2009 के का.आ. 562(अ), के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना का कार्य सम्पूर्ण भारत वर्ष में 9 फरवरी, 2011 से 28 फरवरी, 2011 तक किया जाएगा, इसकी जांच का कार्य 1 मार्च, 2011 से 5 मार्च, 2011 तक किया जाएगा एवम् इसकी संदर्भ तिथि मार्च, 2011 के प्रथम दिवस को 00.00 बजे होगी; सिवाए जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों के बर्फ से ढके असमकालिक क्षेत्रों को छोड़कर जहां जनसंख्या की जनगणना का कार्य 11 सितम्बर, 2010 से 30 सितम्बर, 2010 तक किया जाएगा, इसकी जांच का कार्य । अक्तूबर, 2010 से 5 अक्तूबर, 2010 तक किया जाएगा । इन राज्यों के बर्फ से ढके असमकालिक क्षेत्रों में जनगणना की संदर्भ तिथि अक्तूबर, 2010 के प्रथम दिवस को 00.00 बजे होगी और जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवम् उत्तराखण्ड के बर्फ से ढके असमकालिक क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगा।

1566 GI/2010

HRCI en VIIII The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2009/आषाढ़ 12, 1931

No. 381]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2009/ASADHA 12, 1931

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2009

सा.का.नि. 458(अ).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार जनगणना नियमावली, 1990 में अनुवर्ती संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों को जनगणना (संशोधन) नियमावली, 2009 के नाम से जाना जाएगा।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 6 में निम्नलिखित परन्तुक को अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह तब जबिक पूर्व-परीक्षण, प्रायोगिक अध्ययन, गणना उपरांत जांच तथा मूल्यांकन अध्ययन या सांख्यिकीय सर्वेक्षण के संबंध में भरी गई अनुसूचियों या प्रश्नाविलयों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाए।"

[फा. सं. 9/7/2009-सी.डी. (सेन)]

देवेन्द्र कुमार सीकरी, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त
टिप्पणी:—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक
31 दिसम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या का.आ.
967(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात्
इन्हें दिनांक 19 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या
सा.का.नि. 589(अ) द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2009

G.S.R. 458(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Census Rules, 1990, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Census (Amendment) Rules, 2009.
 - (2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In rule 6 of the Census Rules, 1990, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the schedules or questionnaires canvassed in relation to conduct of pre-test, pilot studies, post enumeration check and evaluation studies or statistical surveys may not be notified in the Official Gazette."

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

D. K. SIKRI, Registrar General and Census Commissioner of India

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 967(E), dated the 31st December, 1990 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 589(E) dated the 19th July, 1994.



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

पाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नर्ड दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2009/फाल्गुन 8, 1930

No. 3621

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2009/PHALGUNA 8, 1930

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2009

का.आ. 562(अ). -- जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदुद्वारा, यह घोषणा करती है कि वर्ष 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या की गणना की जाएगी। जनगणना के लिए संदर्भ तारीख, जम्म और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों को छोड़कर, मार्च, 2011 का प्रथम दिवस, 00.00 बजे होगी:

परन्त जम्म और कश्मीर राज्य तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के हिमाच्छादित असमकालिक क्षेत्रों के लिए संदर्भ तारीख, अक्तूबर, 2010 का प्रथम दिवस, 00.00 बजे होगी।

> [फा. सं. 9/7/2009/-सी.डी.(सेन)] देवेन्द्र कुमार सीकरी, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2009

S.O. 562(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby declares that a census of the population of India shall be taken during the year 2011. The reference date for the census shall, except for the State of Jammu and Kashmir and snow bound non-synchronous areas of Himachal Pradesh and Uttarakhand, be 00.00 hours of the first day of March, 2011:

Provided that for the State of Jammu and Kashmir and snow bound non-synchronous areas of Himachal Pradesh and Uttarakhand, the reference date shall be 00.00 hours of the first day of October, 2010.

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

D. K. SIKRI, Registrar General and Census Commissioner, India.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588] No. 588] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2009/चैत्र 18, 1931

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2009/CHAITRA 18, 1931

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2009

का.आ. 929(अ).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, भारत की जनगणना 2011 का पूर्व-परीक्षण करने के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करती है। पूर्व-परीक्षण का कार्य सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 28 जून, 2009 सं 17 अगस्त, 2009 तक किया जाएगा।

[फा. सं. 9/7/2009-सीडी (सेन)] देवेन्द्र कुमार सीकरी, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2009

S.O. 929(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby extends the provisions of the said Act, for conduct of pre-test of Census of India 2011. The pre-test shall be conducted from 28th June, 2009 to 17th August, 2009 in all the States and Union Territories.

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

D. K. SIKRI, Registrar General and Census Commissioner, India

सत्यमेव जयते The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1828] No. 1828] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 3, 2010/भाद्र 12, 1932

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2010/BHADRA 12, 1932

का.आ. 2172(अ).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 एकत्रित करने के लिए जनगणना अधिकारी अपनी नियुक्ति के स्थानीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित

- 1. व्यक्ति का नाम

- 5. इस समय वैवाहिक स्थिति
- 7. धर्म
- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नाम)
- 9. नि:शक्तता
- 10. मातृ भाषा
- 11. अन्य भाषाओं का ज्ञान
- 12. साक्षरता की स्थिति
- 13. शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने की स्थिति

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2010

का 37) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अनुदेश और निदेश देती है कि भारत की जनगणना, 2011 के संबंध में परिवार अनुसूची के माध्यम से जानकारी मदों के संबंध में सभी प्रश्न पूछ सकता है, नामतः :--

- 2. मुखिया से संबंध
- 3. लिंग
- 4. जन्म तिथि और आयु (पूर्ण हुए वर्षों में)
- 6. विवाह के समय आयु (पूर्ण हुए वर्षों में)
- 8. अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)

- 3471 GI/2010

- 14. प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर
- 15. कर्मी और गैर-कर्मी की विशेषताएं क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय काम किया (दीर्घकालिक, अल्पकालिक और गैर-कर्मी के लिए
- 16. अर्थिक कार्यकलाप की श्रेणी
- 17. व्यवसाय
- 18. उद्योग, व्यापार अथवा सेवा का स्वरूप
- 19. कर्मी का वर्ग
- 20. गैर-आर्थिक कार्यकलाप (अल्पकालिक और गैर-कर्मी के लिए)
- 21. काम की खोज में अथवा काम के लिए उपलब्ध (अल्पकालिक और गैर-कर्मी के लिए)
- 22. कार्यस्थल तक की यात्रा
- 23. स्थान परिवर्तन की विशेषताएं जन्म स्थान
- 24. पूर्व निवास स्थान
- 25. स्थान परिवर्तन का कारण
- 26. स्थान परिवर्तन के पश्चात् गाँव/नगर में निवास की अविध
- 27. प्रजननता विवरण जीवित बच्चे (केवल इस समय विवाहित, विधवा, तालकशुदा अथवा संबंध विच्छेदित महिला के लिए)
- 28. कभी भी पैदा हुआ बच्चा (केवल इस समय विवाहित, विधवा, तलाकशुदा अथवा संबंध विच्छेदित महिला के लिए)
- 29. पिछले एक वर्ष के दौरान जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या (केवल इस समय विवाहित महिला के लिए)

[फा. सं. 9/7/2009-सीडी (सेन)] च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2010

S.O. 2172(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby instructs and directs that the Census-Officer may ask all such questions of all persons within the limits of the local area for which he is appointed, for collecting information through the Household Schedule in connection with the Census of India 2011, on the items enumerated below, namely:—

- 1. Name of the person
- 2. Relationship to head
- 3. Sex
- 4. Date of birth and age (in completed years)
- 5. Current marital status
- 6. Age at marriage (in completed years)
- 7. Religion
- 8. Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribe (ST) (name of the Scheduled Caste/Scheduled Tribe)
- 9. Disability
- 10. Mother Tongue
- 11. Other languages known
- 12. Literacy status
- 13. Status of attendance in educational institution

- 14. Highest educational level attained
- Characteristics of workers and non-workers Worked any time during last year (for main, marginal and nonworkers)
- 16. Category of economic activity
- 17. Occupation
- 18. Nature of industry, trade or service
- 19. Class of worker
- 20. Non-economic activity (for marginal and non-worker)
- 21. Seeking or available for work (for marginal and non-worker)
- 22. Travel to place of work
- 23. Migration characteristics Birth place
- 24. Place of last residence
- 25. Reason for migration
- 26. Duration of stay in the village/town since migration
- 27. Fertility particulars Children surviving (for currently married, widowed, divorced or separated women only)
- 28. Children ever born (for currently married, widowed, divorced or separated women only)
- 29. Number of children born alive during last one year (for currently married women only)

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

C. CHANDRAMOULI, Registrar General & Census Commissioner, India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2010/फाल्गुन 11, 1931

No. 435]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2010/PHALGUNA 11, 1931

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्टार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25-फरवरी, 2010

का.आ. 517(अ).—जनगणना नियमावली, 1990 के नियम 6क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 एवं धारा 17क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि भारत की जनगणना 2011 से संबंधित मकानसूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल, 2010 से 30 सितम्बर, 2010 तक विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में किया जाएगा।

[फा. सं. 9/7/2009-सीडी (सेन)] च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2010

S.O. 517(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948) read with rule 6A of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby declares that the Houselisting Operations of Census of India 2011 shall take place from 1st April, 2010 to 30th September, 2010 in different States and Union Territories.

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

C. CHANDRAMOULI, Registrar General and Census Commissioner, India

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2010

का.आ. 518(अ).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 8 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अनुदेश देती है कि सभी जनगणना अधिकारी उनकी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2011 के संबंध में मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्र करने के लिए नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछें, अर्थात् :—

- भवन नम्बर (नगर अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नम्बर)
- 2. जनगणना मकान नम्बर
- जनगणना मकान के फर्श, दीवार तथा छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
- 4. जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं
- 5. जनगणना मकान की हालत
- 6. परिवार क्रमांक
- इस परिवार में सामान्यत: रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या:
 - (i) व्यक्ति
 - (ii) पुरुष
 - (iii) स्त्री
- 8. परिवार के मुखिया का नाम
- 9. लिंग
- 10. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित हों
- 11. इस मकान के स्वामित्व की स्थिति

- 12. इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
- 13. परिवार में रहने वाले विवाहित दम्पत्तियों की संख्या
- 14. पेयजल का मुख्य स्रोत
- 15. पेयजल स्रोत की उपलब्धता
- 16. प्रकाश का मुख्य स्रोत
- 17. परिसर के भीतर शौचालय
- 18. शौचालय की सुविधा का प्रकार
- 19. गन्दे पानी की निकासी
- 20. स्नानगृह की सुविधा
- 21. रसोई घर
- 22. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन
- 23. रेडियो/ट्रांजिस्टर
- 24. टेलीविजन
- 25. कम्प्यूटर/लैपटॉप
- 26. टेलीफोन/मोबाइल फोन
- 27. साइकिल
- 28. स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड
- 29. कार/जीप/वैन
- 30. बैंकिंग सेवा का उपयोग कर रहे हैं।
- टिप्पणी: मद सं. 1 से 5 भवन के विवरणों से, मद सं. 6 से 7 परिवार के विवरणों (पूर्णत: अथवा अंशत: आवासीय उपयोग में लाए गए जनगणना मकान के लिए) से, मद सं. 8 से 10 परिवार के मुखिया से और मद सं. 9 से 30 केवल सामान्य परिवार से संबंधित है।

[फा. सं. 9/7/2009-सीडी (सेन)] च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2010

S.O. 518(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby instructs that all Census Officers may, within the limits of the local areas for which they have been respectively appointed, ask all such questions from all persons on the items enumerated below for collecting information through the Houselisting and Housing Census Schedules in connection with the Census of India 2011, namely:—

- 1. Building number (Municipal or local authority or census number).
- 2. Census House number.
- 3. Predominant material of floor, wall and roof of the census house.
- 4. Ascertain the use of census house.

- 5. Condition of the census house.
- 6. Household Number.
- 7. Total number of persons normally residing in the household:
 - (i) Persons
 - (ii) Males
 - (iii) Females
- 8. Name of the head of the household.
- 9. Sex.
- 10. If Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Others.
- 11. Ownership status of the house.
- 12. Number of dwelling rooms exclusively in possession of the household.
- 13. Number of married couple(s) living in the household.
- 14. Main source of drinking water.
- 15. Availability of drinking water source.
- 16. Main source of lighting.
- 17. Latrine within the premises.
- 18. Type of latrine facility.
- 19. Waste water outlet.
- 20. Bathing facility.
- 21. Kitchen.
- 22. Fuel used for cooking.
- 23. Radio/Transistor.
- 24. Television.
- 25 Computer/Laptop.
- 26. Telephone/Mobile phone.
- 27. Bicycle.
- 28. Scooter/Motor Cycle/Moped.
- 29. Car/Jeep/Van.
- 30. Availing banking services.

Note: Items 1 to 5 relate to Building particulars, items 6 to 7 relate to Household particulars (for census house used wholly or partly as a residence), items 8 to 10 relate to Head of the Household, and items 9 to 30 relate only to Normal Households.

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

C. CHANDRAMOULI, Registrar General and Census Commisssioner, India





EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 1990] No. 1990] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25 2010/आश्विन 3, 1932

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 2010/ASVINA 3, 1932

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2010

का.आ. 2341(अ).—जनगणना अधिनियम, 1990 के नियम 6क के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 तथा धारा 17क द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत सरकार गृह मंत्रालय की दिनांक 25 फरवरी, 2010 के का.आ. 517(अ) के तहत जारी अधिसूचना में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:

कथित अधिसूचना में "और संघ राज्यक्षेत्रों" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः :-

"बशर्ते कि छत्तीसगढ़ राज्य के 4 जिलों नामत: :— बस्तर, दंतेवाडा, बीजापुर तथा नारायणपुर में भारत की जनगणना—2011 के मकानसूचीकरण कार्य की अवधि 31 अक्तूबर, 2010 तक विस्तारित की जाती है।"

[फा. सं. 9/7/2009-सीडी (सेन)] च. चन्द्रमौलि, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2010

S.O. 2341(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 and section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948), read with rule 6A of the Census Rules, 1990, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, vide number S.O. 517 (E), dated the 25th February, 2010, namely:—

In the said notification after the words "and Union Territories.", the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the period of Houselisting Operations of Census of India 2011 is extended up to the 31st October, 2010 in four districts namely Bastar, Dantewada, Bijapur and Narayanpur of the State of Chhattisgarh."

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

C. CHANDRAMOULI, Registrar General & Census Commissioner of India